संoसंo 18 / विविध–प्रोoकोo–01–4 / 2014 – 37/आoनिo एoएoएo एoकोo

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

डाo अजय कुमार,
अपर निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी,
महालेखाकार (लेo एवं हo) का कार्यालय,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : 17/03/2015

विषयः स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 348(3) दिनांक 22.08.2014 तथा 602(17) दिनांक 22.08.2014 के अन्तर्गत दिये गए डायनेमिक एoसीoपीo के अन्तर्गत पेंशन की देयता तिथि के संबंध में ।

प्रसंगः पेन–02–1602 दिनांक 14.10.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चिकित्सा शिक्षक / स्वास्थ्य चिकित्सक जिन्हें 01.01.2006 से 31.01.2014 के बीच सेवा निवृत हुए है, उनके संबंध में वित्त विभाग से परामर्श / निदेश प्राप्त किया गया है ।

वित्त विभाग द्वारा उपुर्यक्त के संबंध में पत्रांक 30–2–वेoपुo–05 / 14–1805 दिनांक 23.02.2015 से निर्गत की गई है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है ।

विश्वासभाजन

16/3/15

(डाo अजय कुमार)
अपर निदेशक–सह–संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

अनुलग्नक : संलग्न ।

D:\S.K\2014-15\Section-18A\Section 18 Permotin.docx

(29)

पत्रांक–3ए–2–वे०पु०–05/2014–.........1805.........../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी,
महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 23/2/15

विषय :– **स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–348(3), दिनांक–22/08/2014 तथा 602(17) दिनांक–22/08/2014 के अंतर्गत दिए गए डायनेमिक ए०सी०पी० के अन्तर्गत पेंशन की देयता तिथि के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– पेन–02–1602, दिनांक–14/10/2014 के प्रसंग में सूचित करना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3768, दिनांक–29/04/2014 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया था कि बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सा शिक्षकों तथा बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को क्रमशः दिनांक–13/10/2008 एवं 25/11/2008 से प्राप्त डायनेमिक ए०सी०पी० दिनांक–01/01/2006 से वैचारिक तथा फरवरी, 2014 से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा। 2008 की तिथियों से स्वीकृत/भुगतेय डायनेमिक ए०सी०पी० का लाभ बरकरार रहेगा तथा वसूलनीय नहीं होगा।

चिकित्सा शिक्षक/चिकित्सक जिन्हें दिनांक–01/01/2006 से 31/01/2014 के बीच वैचारिक रूप से डायनेमिक ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त होगा और इस अवधि में जो सेवा निवृत हो गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति होने की तिथि को प्राप्त वैचारिक वेतन के आधार पर पेंशन गणनीय होगा।

विश्वासभाजन

23.02.2015
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

\Letter Folder 2015\sudeep

(Comp.-Anil. Kr.)

Ol